

<p>तारीख हुकम</p>	<p>हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज हरी सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या 14 / 2024</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए</p>
<p>24-09-24</p>	<p>अपीलार्थी हरी सिंह निवासी मु.पों. चावण्डा, तहसील जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा प्रस्तुत आवेदन 22/02/2023 में गांव चावण्डा में जेडीए की भूमि खसरा नं. 77व 593 पर अवैध अतिक्रमण से संबंधित से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों. पक्ष (अपर जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) से आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर-शहर प्रथम, जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर जोधपुर</p>	